एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 02, अंक: 03 (मई-जून, 2022)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

किसान भाईयों को मुक्ति दिलाएगी राजस्थान तारबंदी योजना

(*डॉ. गिरधारी लाल मीना[1], डॉ. हरि सिंह[1], डॉ. कैलाश चंद बैरवा[2] एंव हेमंत कुमार लाम्बा[1])
[1]राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपर, [2]कृषि महाविद्यालय, बायतू, बाड़मेर
*kailashiari@gmail.com

राजस्थान में किसानो की फसलों को आवारा जानवर बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जिससे किसानों की फसल काफी हद तक बर्बाद हो जाती है। इसलिए अधिकतर किसान अपने खेतों के चारों तरफ तारबंदी कर देते हैं। ताकि कोई आवारा जानवर खेत में ना जा सके। परंतु सभी किसान रूपयों की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, राज्य योजना, एवं राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन–तिलहन योजनांतर्गत नील गाय व आवारा जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु खेतों में राजस्थान सरकार ने राजस्थान तारबंदी योजना वर्ष 2022–23 के लिए शुरू की। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के किसान भाईयों को अपने खेतो के चारो ओर तारबंदी करवाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जिससे कि सभी किसान कांटेदार तारबंदी करवाकर अपने खेतों की सुरक्षा कर सकें। और फसलों को नील गाय व आवारा जानवरों द्वारा होने वाले नुकसान से बचा सके। इस योजना से अब किसानो को दिन रात परेशान नहीं होना पड़ेगा।

तारबंदी (बाड़ बनाना) योजना पर अनुदान हेतु कृषक की पात्रताः–

- व्यक्तिगत आवेदन करने वाले एक किसान के पास एक ही जगह न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर कृषि भूमि (6 बीघा) राजस्व रिकॉर्ड अनुसार होना आवश्यक है। या सामूहिक रूपसे 1.5 या अधिक किसानों के नाम एक ही जगह न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर (6 बीघा) कृषि भूमि होना आवश्यक है।
- इस योजना के तहत किसान राजस्थान की स्थायी निवासी होने चाहिए।
- आवेदक का बैंक अकाउंट होना चाहिए क्योकि सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

काँटेदार तारबंदी चौन लिंक योजना हेतु आवेदन करने की प्रक्रियाः–

- राजकिसान साथी पोर्टल (http://rajkisan.rajasthan.gov.in) पर 30.05.2022 से आन लाईन आवेदन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है।
- इस योजना के तहत राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी राजस्थान तारबंदी योजना 2022 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो उन्हें कृषि विभाग राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट राजकिसान साथी पोर्टल पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको वहाँ से तारबंदी योजना का एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, आधार नंबर, पिता का नाम, मोबाइल नंबर आदि भरनी होगी।
- किसान नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र/ई–मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकता है।
- आवेदन के समय आवेदक को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
    - आवेदक का 6 माह से पूर्व की नवीनतम जमाबंदी की नकल
    - लघु–सीमांत प्रमाणपत्र
    - जनाधार कार्ड
    - आधार कार्ड
    - राशन कार्ड

- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पास बुक
- पास पोर्ट साइज एक रंगीन फ़ोटो आदि।

- सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन की हस्ताक्षर युक्त मूल पत्रावली व आवेदन फॉर्म के साथ अपने सभी दस्तावेज़ों के साथ नज़दीकी कृषि विभाग में सम्बंधित कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय में जमा कराने के बाद रसीद प्राप्त करें।

काँटेदार तारबंदी चौन लिंक योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया:–

जिले/राज्य को आवंटित भौतिक लक्ष्य अनुसार राजकिसान साथी पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की वरीयतानुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पत्रावलियों की कार्यालय स्तर से छंटनी की जावेगी मतलब किसान समूह के प्रथम आवेदनकर्ता के आधार पर समूह की प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी.उसके सम्बंधित सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा मौके पर कार्य का जाकर पूर्व–सत्यापन किया जाएगा। पत्रावली पात्र होने पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी उसके बाद ही किसान को तारबंदी कार्य कृषि विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश अनुसार सम्बंधित कृषि पर्यवेक्षक व सहायक कृषि अधिकारी से पूर्ण जानकारी ले कर तारबंदी कार्य पूर्ण करवाये। **काँटेदार तारबंदी चौन लिंक कार्य करने की प्रक्रिया** कृषि विभाग से कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद पूर्व–सत्यापन के समय सम्बंधित कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर निर्धारित की गई परिधि में प्रत्येक 3 मीटर की दूरी पर प्रीकॉस्ट सीमेंट कंक्रीट खम्बे लोहे के ऐंगल को सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन (30×45 सेंटी मीटर) के साथ लगते है या पत्थर की पट्टीयो के टुकड़े विना फाउंडेशन के लगा सकते है व 6 तार आड़े लगाते है। व दोनो खम्बों के मध्य 2 आड़े तार लगाते है या चौन लिंक (जाल) भी लगा सकते है प्रत्येक 10 वें खम्बे व कोनो पर एक सहायक खम्बा भी लगाना होगा। इस तरह कार्य विभागीय दिशा–निर्देश अनुसार कृषकों द्वारा पूर्ण करने पर सम्बंधित कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन जाँच उपरांत सम्बंधित कृषको को उनके बैंक खातों में अनुदान राशि जमा कराई जाती है। **अनुदान राशि व इसके भुगतान का तरीका** व्यक्तिगत आधार पर एक किसान को न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर भूमि में अधिकतम 400 मीटर रनिंग लंबाई पर 40,000 या लागत का 50 फ़ीसदी अनुदान देय है लम्बाई 400 मीटर से अधिक होने पर किसान अपने स्तर शेष लम्बाई में तारबंदी कार्य कराएगा व लम्बाई 400 मीटर से कम होने पर यथा नुपात आधार पर अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा। लघु–सीमांत किसान को लागत का 60 फ़ीसदी या अधिकतम 400 मीटर रनिंग लम्बाई हेतु 48000 रुपये का अनुदान देय है। समूह में दो या अधिक कृषकों द्वारा न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर भूमि पर तारबंदी करने पर प्रति कृषक अधिकतम 400 मीटर रनिंग हेतु लागत 50 फ़ीसदी या अधिकतम 40,000 रुपये का अनुदान देय है।लम्बाई 400 मीटर से कम होने पर यथानुपात आधार पर अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा। समूह में लघु–सीमांत कृषक होने पर लागत का 60 फ़ीसदी या अधिकतम 400 रनिंग मीटर हेतु 48000 रुपये प्रति कृषक दिया जाएगा। अनुदान राशि सम्बंधित कृषकों को सीधे ही बैंक खाते में डी बी टी के माध्यम से हस्तांतरित की जावेगी।

राजस्थान तारबंदी योजना से लाभान्वित होने के लिए कहां सम्पर्क करें:–

- ग्राम पंचायत स्तर पर–कृषि पर्यवेक्षक
- पंचायत समिति स्तर पर–सहायक कृषि अधिकारी
- उप जिला स्तर पर–उद्यान कृषि अधिकारी/सहायक निदेशक कृषि
- जिला स्तर पर–उप निदेशक कृषि (विस्तार)/उपनिदेशक उद्यान

किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने राजस्थान तारबंदी योजना की शुरूआत की है। किसान भाईयों से अनुरोध कि आप इस योजना के प्रति अधिक सजग एवं जागरुक रहें, अपनी उपज को फसलों को आवारा जानवरों द्वारा होने वाले नुकसान से बचाकर अधिक से अधिक उपज व आय प्राप्त करें।